न्यायालय समक्ष माननीय राजस्व मंडल, ग्वालियर (म०प्र०)

===

निगरानी क्र०- सन्- 2011-12

R-1247-II/12

1- बिनईयां पत्नी श्री प्यारे लाल अहीर

2- जगदीश तनय श्री गुन्नी लाल अहीर

3- मन्नू लाल तनय श्री गुन्नी लाल अहीर

4- ललती बेवा स्व० श्री गुन्नी लाल अहीर

5- प्यारे लाल तनय श्री भगवानदास अहीर

सभी निवासीगण ग्राम आमखेरा तह० व

जिला छतरपुर म०प्र० .. आवेदकगण

बनाम

1- श्रीमती कंचन पुत्री नन्ना अहीर

निवासी ग्राम आमखेरा तह० वजिला छतरपुर म०प्र०

2- म०प्र० शासन .. .. अनावेदकगण

यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा प्र०क्र०-283/निग./2008-09 में पारित आदेश दिनांक 10.4.12 से असंतुष्ट होकर - प्रस्तुत की गई है ।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

आवेदकगण सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करते है :-

1- यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकारहै कि अनावेदिका क्र०-1 (एक) ने नायब तहसीलदार प्रभारी मण्डल महेबा तह० छतरपुर (जिन्हे आगे बिचारण न्यायालय कहा जावेगा) के ... की आवेदकगण एवं अनावेदिका

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1247–दो/12 जिला – छतरपुर

स्थान तंथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8/3/18	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी कमिश्नर, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमाक 458/अ–27/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 14–3–07 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक विटवा एवं हरदास द्वारा नायब तहसीलदार के न्यायालय में ग्राम स्थित भूमि किता 13 रकबा 7.553 एकड़ के बटवारा हेतु आवेदन दिया गया । दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 31–5–2004 द्वारा बटवारा आदेश पारित किया । इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक द्वारा अपील पेश की गई जो उन्होंने समय सीमा बाह्य होने के कारण निरस्त की । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त ने निरस्त की है । आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ प्रकरण में तर्कों के दौरान दोनों पक्षों द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का अनुरोध किया गया ।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण बटवारे का है । प्रकरण में दोनों पक्षों द्वारा नायब तहसीलदार के न्यायालय में बटवारा किए जाने हेतु आवेदन दिया था जिसमें सहमति के आधार पर बटवारा किये जाने की प्रार्थना की गई है । नायब तहसीलदार ने प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार पर बटवारा आदेश दिनांक 31—5—04 को पारित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील को अनुविभागीय अधिकारी ने अवधि बाह्य मानकर खारिज की है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील में विद्वान आयुक्त ने यह पाया है कि तहसील न्यायालय में आवेदक द्वारा स्वयं आवेदन प्रस्तुत किया जाना बाद में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अपील प्रस्तुत किया जाना आवेदक की असत्यता एवं बदनीयति का परिचायक है और उन्होंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को निरस्त किया है । आयुक्त द्वारा निकाले गये निष्कर्ष की पुष्टि अभिलेख से होती है ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । (एम0 गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य	